



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

क्र. 345 / का.प्र. / 2023

भोपाल दिनांक 21/02/23

प्रति,

सहायक यंत्री
जोन क्र.13
भवन अनुज्ञा शाखा,
नगर पालिक निगम भोपाल

विषय— भवन निर्माण अनुमति विषयक ।

संदर्भ— मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स का आवेदन दिनांक 10/02/2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा पार्टनर 1) श्री अजय मोहगावकर आत्मज श्री एस.डब्ल्यू. मोहगावकर, 2) प्रदीप शर्मा आत्मज स्व. श्री जी.एस. शर्मा एवं भूमि स्वामी 1) श्री शकील अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 2) श्री राशिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 3) श्री शाहिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 4) श्री रईस इकबाल आत्मज श्री जमील अहमद, 5) डॉ. कमर सुल्ताना पुत्री श्री जमील अहमद, 6) मुसम्मात फरहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 7) मुसम्मात मेहरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 8) मुसम्मात रेहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 9) मुसम्मात बदरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 10) मुसम्मात फखरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद में से प्रथम पक्षकार क्रमांक-06 से 10 की ओर से द्वारा मुख्याराम मेसर्स प्रियदर्शिनी कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराईटर श्री प्रदीप शर्मा आत्मज श्री स्व. श्री जी.एस. शर्मा को ग्राम मिसरोद स्थित भूमि खसरा क्र. 62/1/1, 62/1/10, 61, 3761, 377/61/2/1/ज, 62/1/2, 62/1/3, 62/1/4, 62/1/5, 62/1/6, 61, 377/61/2/1/च, 62/1/7, 61, 377/61/2/1/छ, 62/1/8, 62/1/9, 61, 377/61/2/1/झ कुल रकबा 1.460 हेक्टे. पर भूखण्डीय आवासीय कॉलोनी "A.P.ENCLAVE" में विकास अनुमति क्रमांक 1073, दिनांक 01/02/2023 जारी की गई है।

मुख्य नगर निवेशक महो. के आदेशानुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक **BPLLP010622556** दिनांक 28/08/2022 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 16 व 17 के आधार पर प्रथम बार आगामी पांच वर्ष की अवधि हेतु इस पत्र की जारी दिनांक से भवन अनुमति इस शर्त के साथ जारी की जाती है कि :- (1) भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व गैर आवासीय भवनों/भूखण्डों हेतु भवन निर्माण के मापदण्ड यथा ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर., गतिविधियों का प्रतिशत, पार्किंग, एम.ओ.एस., भवन ऊंचाई गतिविधियों का प्रकार आदि संबंधी मापदण्ड नगर तथा ग्राम निवेश प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।, (2) कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य के एवज में निष्पादित किये गये अनुबंध में उल्लेखित अनुसार भूखण्ड नगर निगम में बंधक रखे गये हैं उनके बंधक मुक्त होने तक क्रय/विक्रय/पंजीयन नहीं किया जावेगा तथा उक्त बंधक प्रकोष्ठ/भूखण्ड का निर्माण/विकास पहले करना होगा।, (3) अनुबंध दिनांक 17/02/2023, नगर तथा ग्राम द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्र. **BPLLP010622556** दिनांक 28/08/2022, इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त विकास अनुमति की शर्तों का अक्षरतः पालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त किसी शर्तों में उल्लंघन किये जाने पर अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न:-बंधक डीड व अनुमोदित मानचित्र की छायाप्रति।

प्रभारी

वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम,भोपाल

पृष्ठा.क्र.346/का0प्रको0/2023

भोपाल दिनांक 21/02/2023

प्रतिलिपि:-

1. डी.सी.आर. सेल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स, पता- एस-04, रमेश टॉवर, 10 नं. मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित की भवन अनुज्ञा हेतु भवन अनुज्ञा शाखा, नगर निगम भोपाल में सम्पर्क करें।

प्रभारी

वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम,भोपाल



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

भोपाल दिनांक 21/2/23

क्र. 345 / का.प्र. / 2023

प्रति,

सहायक यंत्री

जोन क्र.13

भवन अनुज्ञा शाखा,

नगर पालिक निगम भोपाल

विषय— भवन निर्माण अनुमति विषयक ।

संदर्भ— मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स का आवेदन दिनांक 10/02/2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा पार्टनर 1) श्री अजय मोहगावकर आत्मज श्री एस.डब्ल्यू. मोहगावकर, 2) प्रदीप शर्मा आत्मज स्व. श्री जी.एस. शर्मा एवं भूमि स्वामी 1) श्री शकील अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 2) श्री राशिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 3) श्री शाहिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 4) श्री रईस इकबाल आत्मज श्री जमील अहमद, 5) डॉ. कमर सुल्ताना पुत्री श्री जमील अहमद, 6) मुसम्मात फरहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 7) मुसम्मात मेहरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 8) मुसम्मात रेहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 9) मुसम्मात बदरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 10) मुसम्मात फखरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद में से प्रथम पक्षकार क्रमांक-06 से 10 की ओर से द्वारा मुख्त्यारआम मेसर्स प्रियदर्शिनी कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराईटर श्री प्रदीप शर्मा आत्मज श्री स्व. श्री जी.एस. शर्मा को ग्राम मिसरोद स्थित भूमि खसरा क्र. 62/1/1, 62/1/10, 61, 3761, 377/61/2/1/ज, 62/1/2, 62/1/3, 62/1/4, 62/1/5, 62/1/6, 61, 377/61/2/1/च, 62/1/7, 61, 377/61/2/1/छ, 62/1/8, 62/1/9, 61, 377/61/2/1/झ कुल रकबा 1.460 हेक्टे. पर भूखण्डीय आवासीय कॉलोनी "A.P.ENCLAVE" में विकास अनुमति क्रमांक 1073, दिनांक 01/02/2023 जारी की गई है।

मुख्य नगर निवेशक महो. के आदेशानुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक **BPLLP010622556** दिनांक **28/08/2022** में उल्लेखित शर्तों के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 16 व 17 के आधार पर प्रथम बार आगामी पांच वर्ष की अवधि हेतु इस पत्र की जारी दिनांक से भवन अनुमति इस शर्त के साथ जारी की जाती है कि :- (1) भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व गैर आवासीय भवनों/भूखण्डों हेतु भवन निर्माण के मापदण्ड यथा ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर., गतिविधियों का प्रतिशत, पार्किंग, एम.ओ.एस., भवन ऊंचाई गतिविधियों का प्रकार आदि संबंधी मापदण्ड नगर तथा ग्राम निवेश प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।, (2) कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य के एवज में निष्पादित किये गये अनुबंध में उल्लेखित अनुसार भूखण्ड नगर निगम में बंधक रखे गये हैं उनके बंधक मुक्त होने तक क्रय/विक्रय/पंजीयन नहीं किया जावेगा तथा उक्त बंधक प्रकोष्ठ/भूखण्ड का निर्माण/विकास पहले करना होगा।, (3) अनुबंध दिनांक 17/02/2023, नगर तथा ग्राम द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्र. **BPLLP010622556** दिनांक **28/08/2022**, इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त विकास अनुमति की शर्तों का अक्षरतः पालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त किसी शर्तों में उल्लंघन किये जाने पर अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न:-बंधक डीड व अनुमोदित मानचित्र की छायाप्रति।

प्रभारी
वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम, भोपाल
भोपाल दिनांक / / 2023

पृष्ठा.क्र...../का0प्रको0/2023

प्रतिलिपि:-

1. डी.सी.आर. सेल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स, पता- एस-04, रमेश टॉवर, 10 नं. मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित की भवन अनुज्ञा हेतु भवन अनुज्ञा शाखा, नगर निगम भोपाल में सम्पर्क करें।

प्रभारी
वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम, भोपाल



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

क्र. 345 / का.प्र. / 2023

भोपाल दिनांक 21/02/23

प्रति,

सहायक यंत्री
जोन क्र.13
भवन अनुज्ञा शाखा,
नगर पालिक निगम भोपाल

विषय— भवन निर्माण अनुमति विषयक ।

संदर्भ— मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स का आवेदन दिनांक 10/02/2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा पार्टनर 1) श्री अजय मोहगावकर आत्मज श्री एस.डब्ल्यू. मोहगावकर, 2) प्रदीप शर्मा आत्मज स्व. श्री जी.एस. शर्मा एवं भूमि स्वामी 1) श्री शकील अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 2) श्री राशिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 3) श्री शाहिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 4) श्री रईस इकबाल आत्मज श्री जमील अहमद, 5) डॉ. कमर सुल्ताना पुत्री श्री जमील अहमद, 6) मुसम्मात फरहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 7) मुसम्मात मेहरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 8) मुसम्मात रेहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 9) मुसम्मात बदरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 10) मुसम्मात फखरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद में से प्रथम पक्षकार क्रमांक-06 से 10 की ओर से द्वारा मुख्याराम मेसर्स प्रियदर्शिनी कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराईटर श्री प्रदीप शर्मा आत्मज श्री स्व. श्री जी.एस. शर्मा को ग्राम मिसरोद स्थित भूमि खसरा क्र. 62/1/1, 62/1/10, 61, 3761, 377/61/2/1/ज, 62/1/2, 62/1/3, 62/1/4, 62/1/5, 62/1/6, 61, 377/61/2/1/च, 62/1/7, 61, 377/61/2/1/छ, 62/1/8, 62/1/9, 61, 377/61/2/1/झ कुल रकबा 1.460 हेक्टे. पर भूखण्डीय आवासीय कॉलोनी "A.P.ENCLAVE" में विकास अनुमति क्रमांक 1073, दिनांक 01/02/2023 जारी की गई है।

मुख्य नगर निवेशक महो. के आदेशानुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक **BPLLP010622556** दिनांक 28/08/2022 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 16 व 17 के आधार पर प्रथम बार आगामी पांच वर्ष की अवधि हेतु इस पत्र की जारी दिनांक से भवन अनुमति इस शर्त के साथ जारी की जाती है कि :- (1) भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व गैर आवासीय भवनों/भूखण्डों हेतु भवन निर्माण के मापदण्ड यथा ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर., गतिविधियों का प्रतिशत, पार्किंग, एम.ओ.एस., भवन ऊंचाई गतिविधियों का प्रकार आदि संबंधी मापदण्ड नगर तथा ग्राम निवेश प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।, (2) कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य के एवज में निष्पादित किये गये अनुबंध में उल्लेखित अनुसार भूखण्ड नगर निगम में बंधक रखे गये हैं उनके बंधक मुक्त होने तक क्रय/विक्रय/पंजीयन नहीं किया जावेगा तथा उक्त बंधक प्रकोष्ठ/भूखण्ड का निर्माण/विकास पहले करना होगा।, (3) अनुबंध दिनांक 17/02/2023, नगर तथा ग्राम द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्र. **BPLLP010622556** दिनांक 28/08/2022, इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त विकास अनुमति की शर्तों का अक्षरतः पालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त किसी शर्तों में उल्लंघन किये जाने पर अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न:-बंधक डीड व अनुमोदित मानचित्र की छायाप्रति।

पृष्ठा.क्र.347/का0प्रको0/2023

प्रतिलिपि:-

1. डी.सी.आर. सेल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓ 2. मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स, पता- एस-04, रमेश टॉवर, 10 नं. मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित की भवन अनुज्ञा हेतु भवन अनुज्ञा शाखा, नगर निगम भोपाल में सम्पर्क करें।

प्रभारी

वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम,भोपाल

भोपाल दिनांक 21/02/2023

प्रभारी

वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम,भोपाल



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

क्र. 345 / का.प्र. / 2023

भोपाल दिनांक 21/02/23

प्रति,

सहायक यंत्री
जोन क्र.13
भवन अनुज्ञा शाखा,
नगर पालिक निगम भोपाल

विषय— भवन निर्माण अनुमति विषयक ।

संदर्भ— मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स का आवेदन दिनांक 10/02/2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा पार्टनर 1) श्री अजय मोहगावकर आत्मज श्री एस.डब्ल्यू. मोहगावकर, 2) प्रदीप शर्मा आत्मज स्व. श्री जी.एस. शर्मा एवं भूमि स्वामी 1) श्री शकील अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 2) श्री राशिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 3) श्री शाहिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 4) श्री रईस इकबाल आत्मज श्री जमील अहमद, 5) डॉ. कमर सुल्ताना पुत्री श्री जमील अहमद, 6) मुसम्मात फरहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 7) मुसम्मात मेहरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 8) मुसम्मात रेहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 9) मुसम्मात बदरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 10) मुसम्मात फखरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद में से प्रथम पक्षकार क्रमांक-06 से 10 की ओर से द्वारा मुख्त्यारआम मेसर्स प्रियदर्शिनी कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराईटर श्री प्रदीप शर्मा आत्मज श्री स्व. श्री जी.एस. शर्मा को ग्राम मिसरोद स्थित भूमि खसरा क्र. 62/1/1, 62/1/10, 61, 3761, 377/61/2/1/अ, 62/1/2, 62/1/3, 62/1/4, 62/1/5, 62/1/6, 61, 377/61/2/1/ब, 62/1/7, 61, 377/61/2/1/छ, 62/1/8, 62/1/9, 61, 377/61/2/1/झ कुल रकबा 1.460 हेक्टे. पर भूखण्डीय आवासीय कॉलोनी "A.P.ENCLAVE" में विकास अनुमति क्रमांक 1073, दिनांक 01/02/2023 जारी की गई है।

मुख्य नगर निवेशक महो. के आदेशानुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक **BPLLP010622556** दिनांक 28/08/2022 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 16 व 17 के आधार पर प्रथम बार आगामी पांच वर्ष की अवधि हेतु इस पत्र की जारी दिनांक से भवन अनुमति इस शर्त के साथ जारी की जाती है कि :- (1) भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व गैर आवासीय भवनों/भूखण्डों हेतु भवन निर्माण के मापदण्ड यथा ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर., गतिविधियों का प्रतिशत, पार्किंग, एम.ओ.एस., भवन ऊंचाई गतिविधियों का प्रकार आदि संबंधी मापदण्ड नगर तथा ग्राम निवेश प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।, (2) कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य के एवज में निष्पादित किये गये अनुबंध में उल्लेखित अनुसार भूखण्ड नगर निगम में बंधक रखे गये हैं उनके बंधक मुक्त होने तक क्रय/विक्रय/पंजीयन नहीं किया जावेगा तथा उक्त बंधक प्रकोष्ठ/भूखण्ड का निर्माण/विकास पहले करना होगा।, (3) अनुबंध दिनांक 17/02/2023, नगर तथा ग्राम द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्र. **BPLLP010622556** दिनांक 28/08/2022, इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त विकास अनुमति की शर्तों का अक्षरतः पालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त किसी शर्तों में उल्लंघन किये जाने पर अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न:-बंधक डीड व अनुमोदित मानचित्र की छायाप्रति।

प्रभारी
वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम,भोपाल

पृष्ठा.क्र. ~~347~~ / का0प्रको0 / 2023

भोपाल दिनांक 21/02/2023

प्रतिलिपि:-

1. डी.सी.आर. सेल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓ 2. मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स, पता- एस-04, रमेश टॉवर, 10 नं. मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित की भवन अनुज्ञा हेतु भवन अनुज्ञा शाखा, नगर निगम भोपाल में सम्पर्क करें।

प्रभारी
वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम,भोपाल



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

क्र. 345 / का.प्र. / 2023

भोपाल दिनांक 21/02/23

प्रति,

सहायक यंत्री

जोन क्र.13

भवन अनुज्ञा शाखा,

नगर पालिक निगम भोपाल

विषय— भवन निर्माण अनुमति विषयक ।

संदर्भ— मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स का आवेदन दिनांक 10/02/2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा पार्टनर 1) श्री अजय मोहगावकर आत्मज श्री एस.डब्ल्यू. मोहगावकर, 2) प्रदीप शर्मा आत्मज स्व. श्री जी.एस. शर्मा एवं भूमि स्वामी 1) श्री शकील अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 2) श्री राशिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 3) श्री शाहिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 4) श्री रईस इकबाल आत्मज श्री जमील अहमद, 5) डॉ. कमर सुल्ताना पुत्री श्री जमील अहमद, 6) मुसम्मात फरहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 7) मुसम्मात मेहरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 8) मुसम्मात रेहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 9) मुसम्मात बदरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 10) मुसम्मात फखरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद में से प्रथम पक्षकार क्रमांक-06 से 10 की ओर से द्वारा मुख्याराम मेसर्स प्रियदर्शिनी कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराईटर श्री प्रदीप शर्मा आत्मज श्री स्व. श्री जी.एस. शर्मा को ग्राम मिसरोद स्थित भूमि खसरा क्र. 62/1/1, 62/1/10, 61, 3761, 377/61/2/1/ज, 62/1/2, 62/1/3, 62/1/4, 62/1/5, 62/1/6, 61, 377/61/2/1/च, 62/1/7, 61, 377/61/2/1/छ, 62/1/8, 62/1/9, 61, 377/61/2/1/झ कुल रकबा 1.460 हेक्टे. पर भूखण्डीय आवासीय कॉलोनी "A.P.ENCLAVE" में विकास अनुमति क्रमांक 1073, दिनांक 01/02/2023 जारी की गई है।

मुख्य नगर निवेशक महो. के आदेशानुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक **BPLLP010622556** दिनांक 28/08/2022 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 16 व 17 के आधार पर प्रथम बार आगामी पांच वर्ष की अवधि हेतु इस पत्र की जारी दिनांक से भवन अनुमति इस शर्त के साथ जारी की जाती है कि :- (1) भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व गैर आवासीय भवनों/भूखण्डों हेतु भवन निर्माण के मापदण्ड यथा ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर., गतिविधियों का प्रतिशत, पार्किंग, एम.ओ.एस., भवन ऊंचाई गतिविधियों का प्रकार आदि संबंधी मापदण्ड नगर तथा ग्राम निवेश प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।, (2) कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य के एवज में निष्पादित किये गये अनुबंध में उल्लेखित अनुसार भूखण्ड नगर निगम में बंधक रखे गये हैं उनके बंधक मुक्त होने तक क्रय/विक्रय/पंजीयन नहीं किया जावेगा तथा उक्त बंधक प्रकोष्ठ/भूखण्ड का निर्माण/विकास पहले करना होगा। (3) अनुबंध दिनांक 17/02/2023, नगर तथा ग्राम द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्र. **BPLLP010622556** दिनांक 28/08/2022, इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त विकास अनुमति की शर्तों का अक्षरतः पालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त किसी शर्तों में उल्लंघन किये जाने पर अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी।
संलग्न:-बंधक डीड व अनुमोदित मानचित्र की छायाप्रति।

प्रभारी
वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम, भोपाल
भोपाल दिनांक 21/02/2023

पृष्ठा.क्र. 346/का0प्रको0/2023

प्रतिलिपि:-

1. डी.सी.आर. सेल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स, पता- एस-04, रमेश टॉवर, 10 नं. मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित की भवन अनुज्ञा हेतु भवन अनुज्ञा शाखा, नगर निगम भोपाल में सम्पर्क करें।

प्रभारी
वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम, भोपाल

मुख्य नगर निवेशक महो. के आदेशानुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक BPLLP010622556 दिनांक 28/08/2022 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 16 व 17 के आधार पर प्रथम बार आगामी पांच वर्ष की अवधि हेतु इस पत्र की जारी दिनांक से भवन अनुमति इस शर्त के साथ जारी की जाती है कि :- (1) भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व गैर आवासीय भवनों/भूखण्डों हेतु भवन निर्माण के मापदण्ड यथा ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर., गतिविधियों का प्रतिशत, पार्किंग, एम.ओ.एस., भवन ऊंचाई गतिविधियों का प्रकार आदि संबंधी मापदण्ड नगर तथा ग्राम निवेश प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।, (2) कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य के एवज में निष्पादित किये गये अनुबंध में उल्लेखित अनुसार भूखण्ड नगर निगम में बंधक रखे गये हैं उनके बंधक मुक्त होने तक क्रय/विक्रय/पंजीयन नहीं किया जावेगा तथा उक्त बंधक प्रकोष्ठ/भूखण्ड का निर्माण/विकास पहले करना होगा।, (3) अनुबंध दिनांक 17/02/2023, नगर तथा ग्राम द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्र. BPLLP010622556 दिनांक 28/08/2022, इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त विकास अनुमति की शर्तों का अक्षरतः पालन करना आवश्यक होगा।

विकास अनुमति के अभाव में भवन निर्माण किये जाने पर अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी।

अनुमोदित मानचित्र की छायाप्रति।

प्रभारी

वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम, भोपाल

भोपाल दिनांक 21/02/2023

पृष्ठा.क्र. 3.46. / का 0 प्र को 0 / 2023

भोपाल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स, पता- एस-04, रमेश टॉवर, 10 नं. मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित की भवन अनुज्ञा हेतु भवन अनुज्ञा शाखा, नगर निगम भोपाल में सम्पर्क करें।

प्रभारी

वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम, भोपाल



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

क्र. 345 / का.प्र. / 2023

भोपाल दिनांक 21/2/23

प्रति,

सहायक यंत्री

जोन क्र.13

भवन अनुज्ञा शाखा,

नगर पालिक निगम भोपाल

विषय— भवन निर्माण अनुमति विषयक ।

संदर्भ— मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स का आवेदन दिनांक 10/02/2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा पार्टनर 1) श्री अजय मोहगावकर आत्मज श्री एस.डब्ल्यू. मोहगावकर, 2) प्रदीप शर्मा आत्मज स्व. श्री जी.एस. शर्मा एवं भूमि स्वामी 1) श्री शकील अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 2) श्री राशिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 3) श्री शाहिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 4) श्री रईस इकबाल आत्मज श्री जमील अहमद, 5) डॉ. कमर सुल्ताना पुत्री श्री जमील अहमद, 6) मुसम्मात फरहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 7) मुसम्मात मेहरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 8) मुसम्मात रेहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 9) मुसम्मात बदरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 10) मुसम्मात फखरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद में से प्रथम पक्षकार क्रमांक-06 से 10 की ओर से द्वारा मुख्याराम मेसर्स प्रियदर्शिनी कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराईटर श्री प्रदीप शर्मा आत्मज श्री स्व. श्री जी.एस. शर्मा को ग्राम मिसरोद स्थित भूमि खसरा क्र. 62/1/1, 62/1/10, 61, 3761, 377/61/2/1/ज, 62/1/2, 62/1/3, 62/1/4, 62/1/5, 62/1/6, 61, 377/61/2/1/च, 62/1/7, 61, 377/61/2/1/छ, 62/1/8, 62/1/9, 61, 377/61/2/1/झ कुल रकबा 1.460 हेक्टे. पर भूखण्डीय आवासीय कॉलोनी "A.P.ENCLAVE" में विकास अनुमति क्रमांक 1073, दिनांक 01/02/2023 जारी की गई है।

मुख्य नगर निवेशक महो. के आदेशानुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक **BPLLP010622556** दिनांक 28/08/2022 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 16 व 17 के आधार पर प्रथम बार आगामी पांच वर्ष की अवधि हेतु इस पत्र की जारी दिनांक से भवन अनुमति इस शर्त के साथ जारी की जाती है कि :- (1) भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व गैर आवासीय भवनों/भूखण्डों हेतु भवन निर्माण के मापदण्ड यथा ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर., गतिविधियों का प्रतिशत, पार्किंग, एम.ओ.एस., भवन ऊंचाई गतिविधियों का प्रकार आदि संबंधी मापदण्ड नगर तथा ग्राम निवेश प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।, (2) कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य के एवज में निष्पादित किये गये अनुबंध में उल्लेखित अनुसार भूखण्ड नगर निगम में बंधक रखे गये हैं उनके बंधक मुक्त होने तक क्रय/विक्रय/पंजीयन नहीं किया जावेगा तथा उक्त बंधक प्रकोष्ठ/भूखण्ड का निर्माण/विकास पहले करना होगा।, (3) अनुबंध दिनांक 17/02/2023, नगर तथा ग्राम द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्र. **BPLLP010622556** दिनांक 28/08/2022, इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त विकास अनुमति की शर्तों का अक्षरतः पालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त किसी शर्तों में उल्लंघन किये जाने पर अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न:-बंधक डीड व अनुमोदित मानचित्र की छायाप्रति।


प्रमोरी
वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम, भोपाल
भोपाल दिनांक / / 2023

पृष्ठा.क्र...../का0प्रको0/2023

प्रतिलिपि:-

1. डी.सी.आर. सेल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स, पता-- एस-04, रमेश टॉवर, 10 नं. मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित की भवन अनुज्ञा हेतु भवन अनुज्ञा शाखा, नगर निगम भोपाल से सम्पर्क करें।


प्रमोरी
वैध कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम, भोपाल

344939

पुस्तिका क्रमांक C. ३२

कृषक का नाम अमिल एहमद

पति/पति का नाम शमसुद्दीन शेख लाल भीपाल धमि

ग्राम मेसरोद

पटवारी हल्का नं. ५२

राजस्व निरीक्षक मंडल

विकास खंड फर्रुखाबाद

जिल्ला

जूर

जिला भीपाल

कृषक के हस्ताक्षर या झंगठे की निशानी का नमूना

15-00000

खाता नंबर ३८
भूमि पर हल का प्रकार (भूस्वामी
मौज्ज्मी/आयक्रीय पट्टेदार)

सिचित रकवा	सिचाई का स्रोत (कुआँ, नहर, तालाब नदी)	यदि खसरा न. पट्टे पर है तो मौज्दासी पट्टे कि कितना म	अन्य विवरण
8		सत्यापन किया गया 10/11/2008	11
"		राज्य मजिस्ट्रेट (S.D. Sharma)	
		बहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट मोपाल (म. १)	
8-66	कुआँ	कमल सिंह मेवाड़ा	नी डी. शा
		प. इ. नं. ४२	राजस्थान नि.

१-पूनि हस्तांतरण

हस्तांतरणकर्ता व जिन्हें हस्तांतरित किया गया उनके नाम	खसरा नंबर	रकबा	सब-रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर, दिनांक और सील
विभाजन पत्र	2	3	4
1-अमीर अहमद	61/1	8-43	
	61/2		
	61/3		
	61/4		
	61/5		
	61/6	0-37	
	61/7	0-31	
	65-66	4-44	
	192	0-37	
पट्टाकार नं०-		13-82	
2-अमीर अहमद	61/1	0-35	इसोमल
3-शाहिद अहमद	62/1	0-35	इसोमल
4-रईस अकबर	62/1	0-35	इसोमल

24/07/93

के विवरण

हस्तांतरणकर्ता व जिन्हें हस्तांतरित किया गया उनके नाम	खसरा नंबर	रकबा	सब-रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर दिनांक और सील
पट्टाकार नं० 5	2	3	4
शाहिद अहमद	62/1	0-35	इसोमल
कमर सुल्तान	62/1	0-37	इसोमल
7-फरहाना	61/377	0-37	इसोमल
	61/377		
	61/377		
8-महमूद निशा	62/1	0-37	इसोमल
	61/377		
	61/377		
9-फरहान निशा	62/1	0-37	इसोमल
	61/377		
	61/377		
10-खाना	62/1	0-37	इसोमल
11-फरहान निशा	61/377	0-37	इसोमल